



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267650
CG-DL-E-14112025-267650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947

No. 760]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

सा.का.नि.846(अ).— डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22) की धारा 40 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथापेक्षित डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 का मसौदा, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 3 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 02 (ई) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां 3 जनवरी, 2025 को जनता को उपलब्ध कराई गईं;

और जबकि उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22वां) की धारा 40 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 कहा जाए।

(2) नियम 1, 2 और 17 से 21 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

- (3) नियम 4 इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के बाद प्रवृत्त होगा।
 (4) नियम 3, 5 से 16, 22 और 23 इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से अठारह माह के बाद प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22वां) अभिप्रेत है;
 (ख) "तकनीकी-कानूनी उपाय" से नियम 20 और 22 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत है;
 (ग) "उपयोगकर्ता खाता" से डेटा प्रिंसिपल द्वारा डेटा फ़िड्यूसरी के साथ पंजीकृत ऑनलाइन खाता अभिप्रेत है; और इसमें कोई भी प्रोफ़ाइल, पृष्ठ, हैंडल, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और ऐसी ही अन्य उपस्थितियाँ शामिल हैं जिनके माध्यम से ऐसा डेटा प्रिंसिपल ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी की सेवाओं का अभिगम कर सकता है; और
 (घ) "सत्यापन योग्य सहमति" से नियम 10 या 11 में यथाविनिर्दिष्ट सहमति अभिप्रेत है।
 (2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु अधिनियम में परिभाषित उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ अभिप्रेत होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए परिभाषित किए गए हैं।

3. डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा डेटा प्रिंसिपल को दिया गया नोटिस — डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा डेटा प्रिंसिपल को दियश गया नोटिस—

- (क) प्रस्तुत किया जाएगा और किसी भी अन्य जानकारी से स्वतंत्र रूप से समझने योग्य होगा जो ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उपलब्ध है या उपलब्ध कराई जा सकती है;
 (ख) स्पष्ट और सरल भाषा में, डेटा प्रिंसिपल को उसके वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट और सूचित सहमति देने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक उचित विवरण देगा, जिसमें कम से कम, -
 (i) ऐसे वैयक्तिक डेटा का एक मदवार विस्तृत विवरण; और
 (ii) ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या उपयोगों के विनिर्दिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों और विशिष्ट विवरण दिए जाएंगे; और
 (ग) ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी की वेबसाइट या ऐप, या दोनों का अभिगम करने के लिए विशेष संचार लिंक, और अन्य साधनों का विवरण, यदि कोई हो, जिसका उपयोग करके ऐसा डेटा प्रिंसिपल -
 (i) अपनी सहमति वापस ले सकता है, ऐसा करने की सहूलियत उस सहमति के बराबर होगी जिससे ऐसी सहमति दी गई थी;
 (ii) अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है; और
 (iii) बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकता है।

4. सहमति प्रबंधक का पंजीकरण और दायित्व — (1) कोई व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण हेतु यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करता है, वह बोर्ड को सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण हेतु ऐसे विवरण और अन्य जानकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत करके आवेदन कर सकता है, जिन्हें बोर्ड अपनी वेबसाइट पर इनकी ओर से प्रकाशित कर सकता है।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड अपने विवेकानुसार प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में यथानिर्धारित शर्तों की पूर्ति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ऐसी जांच कर सकता है और यदि वह -

(क) इस बात से संतुष्ट है, तो आवेदक को सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत करेगा, आवेदक को सूचित करेगा, और ऐसे सहमति प्रबंधक के विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा; या

(ख) इस बात से संतुष्ट नहीं है, तो आवेदन को अस्वीकार कर देगा और आवेदक को अस्वीकृति के कारण बताएगा।

(3) सहमति प्रबंधक के दायित्व प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(4) यदि बोर्ड की राय है कि कोई सहमति प्रबंधक इस नियम के अंतर्गत शर्तों और दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, सहमति प्रबंधक को ऐसे गैर-अनुपालन की सूचना दे सकता है और सहमति प्रबंधक को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दे सकता है।

(5) यदि बोर्ड संतुष्ट हो कि डेटा प्रिंसिपलों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह सहमति प्रबंधक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, आदेश द्वारा, -

(क) ऐसे सहमति प्रबंधक का पंजीकरण निलंबित या रद्द कर सकता है; और

(ख) डेटा प्रिंसिपलों के हितों की रक्षा के लिए उस सहमति प्रबंधक को ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(6) बोर्ड, इस नियम के प्रयोजनों के लिए, सहमति प्रबंधक से ऐसी जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है जिसकी बोर्ड मांग करे।

5. राज्य और उसके उपकरणों द्वारा सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट के प्रावधान या जारी करने के लिए वैयक्तिक डेटा का प्रसंस्करण — (1) इस नियम के तहत डेटा प्रिंसिपल के वैयक्तिक डेटा का प्रसंस्करण दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों का पालन करते हुए किया जाएगा।

(2) इस नियम और दूसरी अनुसूची में, किसी भी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट का संदर्भ जो प्रदान किया जाता है या जारी किया जाता है -

(क) कानून के तहत राज्य या उसके किसी भी उपकरण द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी भी कार्य के निष्पादन में ऐसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट के प्रावधान या जारी करने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

(ख) नीति के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में जारी की गई किसी भी नीति या निर्देश के तहत ऐसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट के प्रावधान या जारी करने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा; और

(ग) सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने का अर्थ ऐसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाणपत्र, लाइसेंस या परमिट के प्रावधान या जारी करने के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा, उस पर प्राप्तियों के प्रोद्भवन के साथ, —

(i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मामले में, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि या भारत के लोक लेखा या राज्य के लोक लेखा; या

(ii) भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार या किसी राज्य के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामले में, ऐसे प्राधिकरण की निधि या निधियाँ।

6. उचित सुरक्षा उपाय.—(1) डेटा फ़िड्यूसरी अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में, वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा करेगा, जिसमें उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी डेटा प्रोसेसर द्वारा किए गए किसी भी प्रसंस्करण के संबंध में, वैयक्तिक डेटा भंग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिनमें कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (क) उपयुक्त डेटा सुरक्षा उपाय, जैसे एन्क्रिप्शन, अस्पष्टीकरण, मार्किंग या उस वैयक्तिक डेटा से जुड़े वर्चुअल टोकन के उपयोग के माध्यम से वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा;
- (ख) ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी या ऐसे डेटा प्रोसेसर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर संसाधनों तक पहुँच को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय, जहाँ भी लागू हो;
- (ग) अनधिकृत पहुँच का पता लगाने, उसकी जाँच करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधार करने हेतु उपयुक्त लॉग, निगरानी और समीक्षा के माध्यम से ऐसे वैयक्तिक डेटा तक पहुँच की दृश्यता;
- (घ) वैयक्तिक डेटा के विनाश या पहुँच के नुकसान या अन्यथा, जैसे डेटा-बैकअप के माध्यम से, ऐसे वैयक्तिक डेटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता से समझौता होने की स्थिति में निरंतर प्रसंस्करण के लिए उचित उपाय;
- (ङ) अनधिकृत पहुँच का पता लगाने, उसकी जाँच करने, पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधार करने और ऐसी किसी भी स्थिति में निरंतर प्रसंस्करण के लिए, ऐसे लॉग और वैयक्तिक डेटा को एक वर्ष की अवधि तक बनाए रखना, जब तक कि वर्तमान में लागू किसी कानून के अनुपालन के लिए अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (च) ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी और ऐसे डेटा प्रोसेसर के बीच किए गए अनुबंध में, जहाँ भी लागू हो, उचित सुरक्षा उपाय करने के लिए उपयुक्त प्रावधान; और
- (छ) सुरक्षा उपायों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपाय।

(2) इस नियम में, "कंप्यूटर संसाधन" पद का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है।

7. वैयक्तिक डाटा उल्लंघन की सूचना.—(1) किसी भी वैयक्तिक डाटा उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर, डेटा फ़िड्यूसरी, अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, प्रत्येक प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को, संक्षिप्त, स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से और बिना किसी देरी के, अपने उपयोगकर्ता खाते या डेटा फ़िड्यूसरी के साथ पंजीकृत किसी भी संचार माध्यम के माध्यम से, सूचित करेगी —

- (क) भंग का विवरण, जिसमें उसकी प्रकृति, सीमा और उसके घटित होने का समय शामिल है;
- (ख) भंग से उत्पन्न होने वाले उसके लिए प्रासंगिक परिणाम;
- (ग) जोखिम को कम करने के लिए डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा कार्यान्वित और कार्यान्वित किए जा रहे उपाय, यदि कोई हों;
- (घ) अपने हितों की रक्षा के लिए वह जो सुरक्षा उपाय कर सकती है; और
- (ङ) उस व्यक्ति की व्यावसायिक संपर्क जानकारी जो डेटा फ़िड्यूसरी की ओर से डेटा प्रिंसिपल के प्रश्नों, यदि कोई हों, का उत्तर देने में सक्षम है।

(2) किसी भी वैयक्तिक डेटा भंग की जानकारी मिलने पर, डेटा फ़िड्यूसरी बोर्ड को सूचित करेगा, -

- (क) बिना किसी देरी के, भंग का विवरण, जिसमें उसकी प्रकृति, सीमा, घटना का समय और स्थान तथा संभावित प्रभाव शामिल हैं;
- (ख) भंग की जानकारी मिलने के बहत्तर घंटों के भीतर, या बोर्ड द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर दी गई अधिक अवधि के भीतर, -
 - (i) ऐसे विवरण के संबंध में अद्यतन और विस्तृत जानकारी;
 - (ii) भंग के कारणों, घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित व्यापक तथ्य;

- (iii) जोखिम को कम करने के लिए कार्यान्वित या प्रस्तावित उपाय, यदि कोई हों;
- (iv) भंग करने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई निष्कर्ष;
- (v) ऐसे भंग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय; और
- (vi) प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों को दी गई सूचनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट।

8. निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए समयावधि को अब पूरा नहीं माना जाएगा.—(1) कोई डेटा फ़िड्यूसरी, जो उस वर्ग का है और तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे संगत उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक डेटा का प्रसंस्करण कर रहा है, ऐसे वैयक्तिक डेटा को मिटा देगा, जब तक कि उसे बनाए रखना किसी भी समय लागू कानून के अनुपालन के लिए आवश्यक न हो, या, तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट संगत समयावधि के लिए, यदि डेटा प्रिंसिपल निर्दिष्ट उद्देश्य के निष्पादन के लिए ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी से न तो संपर्क करता है और न ही ऐसे प्रसंस्करण के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।

(2) इस नियम के तहत वैयक्तिक डेटा के विलोपन की समयावधि पूरी होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले, डेटा फ़िड्यूसरी डेटा प्रिंसिपल को सूचित करेगा कि ऐसा वैयक्तिक डेटा ऐसी अवधि पूरी होने पर मिटा दिया जाएगा, जब तक कि वह अपने उपयोगकर्ता खाते में लॉग इन न करे या निर्दिष्ट उद्देश्य के निष्पादन के लिए डेटा फ़िड्यूसरी से अन्यथा संपर्क न करे या ऐसे वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग न करे।

(3) उप-नियम (1) और (2) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, डेटा फ़िड्यूसरी, उसके द्वारा या उसकी ओर से डेटा प्रोसेसर द्वारा किए गए वैयक्तिक डेटा के किसी प्रसंस्करण के संबंध में, ऐसे वैयक्तिक डेटा, संबद्ध टैफ़िक डेटा और प्रसंस्करण के अन्य लॉग को, ऐसी प्रसंस्करण की तिथि से एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए रखेगा, जिसके बाद डेटा फ़िड्यूसरी ऐसे वैयक्तिक डेटा और लॉग को मिटा देगा, जब तक कि सरकार द्वारा अधिसूचित या लागू किसी अन्य कानून के अनुपालन के लिए आगे प्रतिधारण की आवश्यकता न हो।

उदाहरण

मामला 1: डेटा प्रिंसिपल X, ई-बुक प्लेटफ़ॉर्म Y पर एक ई-बुक खरीदता है। डिलीवरी पूरी होने के बाद, प्रोसेसिंग का निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्लेटफ़ॉर्म Y को ऑर्डर विवरण, वैयक्तिक डेटा और प्रोसेसिंग के लॉग (जैसे ऑर्डर की पुष्टि, भुगतान और डिलीवरी इवेंट) लेन-देन की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक बनाए रखना होगा, भले ही X अपना खाता हटा दे।

मामला 2: कंपनी X, ग्राहक रिकॉर्ड होस्ट करने के लिए क्लाउड सेवा प्रदाता C को अपना डेटा प्रोसेसर नियुक्त करती है। डेटा फ़िड्यूसरी के रूप में X को यह सुनिश्चित करना होगा कि C भी डेटा और संबंधित लॉग को मिटाने से पहले कम से कम एक वर्ष तक बनाए रखे, जब तक कि किसी अन्य लागू कानून में इससे अधिक अवधि की आवश्यकता न हो।

9. प्रसंस्करण के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व्यक्ति की संपर्क जानकारी.—प्रत्येक डेटा फ़िड्यूसरी अपनी वेबसाइट या ऐप पर प्रमुखता से प्रकाशित करेगा, और अधिनियम के तहत डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों के प्रयोग के लिए संचार के प्रत्येक उत्तर में, डेटा संरक्षण अधिकारी की व्यावसायिक संपर्क जानकारी, यदि लागू हो, या उस व्यक्ति की जानकारी का उल्लेख करेगा जो डेटा फ़िड्यूसरी की ओर से डेटा प्रिंसिपल के वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है।

10. बच्चे के वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण हेतु सत्यापन योग्य सहमति.—(1) डेटा फ़िड्यूसरी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाएगा कि बच्चे के किसी भी वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता

की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह जाँचने के लिए उचित तत्परता बरतेगा कि माता-पिता के रूप में स्वयं की पहचान करने वाला व्यक्ति एक वयस्क है, जिसकी पहचान भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अनुपालन के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो निम्नलिखित के संदर्भ में की जा सकती है—

(क) डेटा फ़िड्यूसरी के पास उपलब्ध व्यक्ति की पहचान और आयु का विश्वसनीय विवरण; या

(ख) पहचान और आयु का विवरण, स्वेच्छा से प्रदान किया गया—

(i) व्यक्ति द्वारा; या

(ii) ऐसे विवरणों से जुड़े एक वर्चुअल टोकन के माध्यम से, जो किसी अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है।

(2) इस नियम में, अभिव्यक्ति—

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) "प्राधिकृत इकाई" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा -

(i) कोई इकाई जिसे विधि द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पहचान और आयु का विवरण या ऐसे विवरणों से मिलान किया गया वर्चुअल टोकन जारी करने का दायित्व सौंपा गया हो; या

(ii) खंड (i) के अंतर्गत निर्दिष्ट इकाई द्वारा ऐसे जारी करने के लिए नियुक्त या अनुमत व्यक्ति, और इसमें डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध और सत्यापित पहचान और आयु या टोकन का विवरण भी शामिल है;

(ग) "डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता" का अर्थ ऐसा मध्यवर्ती होगा, जिसमें उपयुक्त सरकार का कोई निगमित निकाय या एजेंसी शामिल है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार अधिसूचित किया जा सकता है;

उदाहरण

C एक बच्चा है, P एक अभिभावक है, और DF एक डेटा फ़िड्यूसरी है। C के वैयक्तिक डेटा को संसाधित करके, DF के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर C का एक उपयोगकर्ता खाता बनाया जाना है।

मामला 1: C, DF को सूचित करती है कि वह एक बच्ची है और P को अपना अभिभावक घोषित करती है। DF, P को अपनी वेबसाइट, ऐप या अन्य उपयुक्त माध्यमों से अपनी पहचान बताने में सक्षम बनाएगा। P स्वयं को अभिभावक के रूप में पहचानती है और DF को सूचित करती है कि वह DF के प्लेटफ़ॉर्म पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता है और उसने पहले ही DF को अपनी पहचान और आयु का विवरण उपलब्ध करा दिया है। उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए C के वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने से पहले, DF यह पुष्टि करने के लिए जाँच करेगा कि उसके पास P की विश्वसनीय पहचान और आयु का विवरण है और P एक पहचान योग्य वयस्क है।

मामला 2: C, DF को सूचित करती है कि वह एक बच्ची है C का उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए उसके वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने से पहले, DF, कानून या सरकार द्वारा उक्त विवरणों के रखरखाव के लिए सौंपी गई किसी संस्था द्वारा जारी पहचान और आयु के विवरण या पहचान और आयु से मैप किए गए वर्चुअल टोकन के संदर्भ में, यह जांच करेगा कि P एक पहचान योग्य वयस्क है। P स्वेच्छा से डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग करके ऐसे विवरण उपलब्ध करा सकता है।

मामला 3: P, C के लिए एक खाता खोल रही है और खुद को C की माता-पिता के रूप में पहचानती है और DF को सूचित करती है कि वह DF के प्लेटफॉर्म पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता है और उसने पहले DF को अपनी पहचान और आयु का विवरण उपलब्ध कराया है। C का उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए उसके वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने से पहले, DF यह पुष्टि करने के लिए जांच करेगा कि उसके पास P की विश्वसनीय पहचान और आयु का विवरण है और P एक पहचान योग्य वयस्क है।

मामला 4: P, C के लिए एक खाता खोल रही है और खुद को C की माता-पिता के रूप में पहचानती है और DF को सूचित करती है कि वह स्वयं DF के प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं है। C का उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए उसके वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने से पहले, DF, कानून या सरकार द्वारा उक्त विवरणों के रखरखाव हेतु सौंपी गई किसी संस्था द्वारा जारी पहचान और आयु संबंधी विवरणों, या पहचान और आयु से जुड़े किसी वर्चुअल टोकन के संदर्भ में, यह जाँच करेगा कि P एक पहचान योग्य वयस्क है। P डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग करके स्वेच्छा से ऐसे विवरण उपलब्ध करा सकता है।

11. दिव्यांगजनों के वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए सत्यापन योग्य सहमति, जिनके पास वैध अभिभावक है— (1) डेटा फ़िड्युसरी, स्वयं को दिव्यांगजनों के वैध अभिभावक के रूप में पहचानने वाले व्यक्ति से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करते समय, यह सत्यापित करने के लिए उचित परिश्रम करेगा कि ऐसा अभिभावक किसी न्यायालय द्वारा, या किसी नामित प्राधिकारी द्वारा, या संरक्षकता पर लागू कानून के तहत किसी स्थानीय स्तर की समिति द्वारा नियुक्त किया गया है।

(2) इस नियम में, अभिव्यक्ति -

(क) "नामित प्राधिकारी" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 15 के तहत दिव्यांगजनों को उनकी कानूनी क्षमता के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए नामित प्राधिकारी अभिप्रेत होगा;

(ख) "संरक्षकता पर लागू कानून" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, -

(i) ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता है, जो बाधाओं के साथ मिलकर, समाज में दूसरों के समान रूप से उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है और जो पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित कानून के प्रावधान; और

(ii) ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या ऐसी स्थितियों के संयोजन से संबंधित किसी भी स्थिति से पीड़ित है और इसमें गंभीर बहु-विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कानून के प्रावधान;

(ग) "स्थानीय स्तर की समिति" का तात्पर्य राष्ट्रीय ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 13 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तर की समिति से होगा;

(घ) "निःशक्त व्यक्ति" का तात्पर्य और इसमें शामिल होंगे -

- (i) ऐसा व्यक्ति जिसकी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी क्षीणता है, जो बाधाओं के कारण, समाज में दूसरों के समान रूप से उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है और जो पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद, कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है; और
- (ii) ऐसा व्यक्ति जो ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता या ऐसी किन्हीं दो या अधिक स्थितियों के संयोजन से संबंधित किसी भी स्थिति से पीड़ित है और इसमें गंभीर बहु-निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है और जो पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद, कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है।

12. बच्चे के वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण पर लागू कुछ दायित्वों से छूट— (1) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (3) के प्रावधान, डेटा फ़िड्यूसरी के ऐसे वर्ग द्वारा बच्चे के वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि चौथी अनुसूची के भाग ए में निर्दिष्ट हैं, ऐसी शर्तों के अधीन जो उक्त भाग में निर्दिष्ट हैं।

(2) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (3) के प्रावधान, ऐसे प्रयोजनों के लिए बच्चे के वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि चौथी अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट हैं, ऐसी शर्तों के अधीन जो उक्त भाग में निर्दिष्ट हैं।

13. महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्यूसरी के अतिरिक्त दायित्व—(1) एक महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्यूसरी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए, उस तिथि से बारह महीने की प्रत्येक अवधि में एक बार डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन और लेखा परीक्षा करेगा, जिस तिथि को उसे इस प्रकार अधिसूचित किया जाता है या डेटा फ़िड्यूसरी वर्ग में शामिल किया जाता है।

(2) एक महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्यूसरी, डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन और लेखा परीक्षा करने वाले व्यक्ति से डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन और लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण टिप्पणियों वाली एक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करवाएगा।

(3) एक महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्यूसरी यह सत्यापित करने के लिए उचित परिश्रम करेगा कि उसके द्वारा संसाधित वैयक्तिक डेटा की होस्टिंग, प्रदर्शन, अपलोडिंग, संशोधन, प्रकाशन, प्रेषण, भंडारण, अद्यतन या साझा करने के लिए उसके द्वारा अपनाए गए एल्गोरिदमिक सॉफ़्टवेयर सहित तकनीकी उपायों से डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों को कोई खतरा होने की संभावना नहीं है।

(4) एक महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्यूसरी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर, उसके द्वारा निर्दिष्ट वैयक्तिक डेटा को इस प्रतिबंध के अधीन संसाधित किया जाए कि वैयक्तिक डेटा और इसके प्रवाह से संबंधित ट्रैफ़िक डेटा भारत के क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

(5) इस नियम में, "समिति" का अर्थ इस नियम के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे और इसमें केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों के अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

14. डेटा प्रिंसिपल के अधिकार.—(1) अधिनियम के तहत डेटा प्रिंसिपल को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, डेटा फ़िड्यूसरी और, जहाँ लागू हो, सहमति प्रबंधक, अपनी वेबसाइट या ऐप, या दोनों पर, जैसा भी मामला हो, प्रमुखता से प्रकाशित करेगा, -

(क) उन साधनों का विवरण जिनके उपयोग से डेटा प्रिंसिपल ऐसे अधिकारों के प्रयोग के लिए अनुरोध कर सकता है; और

(ख) विवरण, यदि कोई हो, जैसे कि ऐसे डेटा प्रिंसिपल का उपयोगकर्ता नाम या अन्य पहचानकर्ता, जो उसकी सेवा की शर्तों के तहत उसकी पहचान के लिए आवश्यक हो सकता है।

(2) अधिनियम के तहत डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, वह उस डेटा फ़िड्यूसरी से अनुरोध कर सकती है, जिसे उसने पहले अपने वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति दी है, ऐसे अधिकारों के प्रयोग के लिए ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा आवश्यक साधनों का उपयोग करके और विवरण प्रस्तुत करके।

(3) प्रत्येक डेटा फ़िड्यूसरी और सहमति प्रबंधक, डेटा प्रिंसिपलों की शिकायतों का समाधान करने के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत नब्बे दिनों से अधिक न होने वाली उचित अवधि के भीतर, अपनी वेबसाइट या ऐप, या दोनों पर, जैसा भी मामला हो, प्रमुखता से प्रकाशित करेगा और ऐसी अवधि के भीतर समाधान करने में प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करेगा।

(4) अधिनियम के तहत डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, वह डेटा फ़िड्यूसरी की सेवा की शर्तों और ऐसे लागू कानून के अनुसार, ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा अपेक्षित साधनों का उपयोग करके और विवरण प्रस्तुत करते हुए, एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है।

(5) इस नियम में, "पहचानकर्ता" शब्द का अर्थ डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा डेटा प्रिंसिपल की पहचान करने के लिए जारी किए गए वर्णों के किसी भी क्रम से होगा और इसमें ग्राहक पहचान फ़ाइल संख्या, ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र संख्या, आवेदन संदर्भ संख्या, नामांकन आईडी, ईमेल पता, मोबाइल नंबर या लाइसेंस नंबर शामिल है जो ऐसी पहचान को सक्षम बनाता है।

15. भारतीय क्षेत्राधिकार से बाहर वैयक्तिक डेटा का स्थानांतरण—अधिनियम के तहत डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा संसाधित किसी भी वैयक्तिक डेटा को भारत के क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, इस प्रतिबंध के अधीन कि डेटा फ़िड्यूसरी उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी विदेशी राज्य को या ऐसे राज्य के नियंत्रण में किसी व्यक्ति या संस्था या किसी एजेंसी को ऐसे वैयक्तिक डेटा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

16. अनुसंधान, अभिलेखीकरण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए अधिनियम से छूट—अधिनियम के प्रावधान अनुसंधान, अभिलेखीकरण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण पर लागू नहीं होंगे यदि यह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार किया जाता है।

17. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति—(1) केंद्र सरकार, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी, जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होगा और भारत सरकार के सचिव जो विधि कार्य विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी होंगे, और दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिनके

पास किसी ऐसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए सदस्यों के रूप में उपयोगी हो, होंगे।

(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी, जिसका अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव होंगे और भारत सरकार के सचिव जो विधि कार्य विभाग के प्रभारी होंगे, और दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिनके पास किसी ऐसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए सदस्यों के रूप में उपयोगी हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति करेगी।

(4) इस नियम के उप-नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसी समिति में कोई रिक्ति है या अनुपस्थित है या इसके गठन में कोई त्रुटि है।

18. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें.— अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य को ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे तथा उनकी सेवा की ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तें होंगी जो पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

19. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और उसके आदेशों, निर्देशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण— (1) अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की तिथि, समय और स्थान निश्चित करेगा, उनके लिए कार्यसूची के मदों का अनुमोदन करेगा, और उन्हें निर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षर से या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से, जिसे अध्यक्ष लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करे, सूचना जारी करवाएगा।

(2) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में, ऐसे अन्य सदस्य द्वारा, जिन्हें बैठक में उपस्थित सदस्य अपने बीच से चुनेंगे, की जाएगी।

(3) बोर्ड की एक-तिहाई सदस्यता इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति होगी।

(4) बोर्ड की किसी भी बैठक में आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(5) यदि किसी सदस्य का बोर्ड की बैठक में निपटाए जाने वाले किसी कार्य-विषय में हित है, तो वह उसमें भाग नहीं लेगा या उस पर मतदान नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, ऐसे विषय पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा।

(6) यदि किसी आपात स्थिति में बोर्ड द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो और बोर्ड की बैठक बुलाना संभव न हो, तो अध्यक्ष लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, जिसकी सूचना सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को दी जाएगी और बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए उसके समक्ष रखी जाएगी।

(7) यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश देता है, तो कार्य या मुद्दे का कोई विषय, जिस पर बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता हो, परिचालन द्वारा सदस्यों को भेजा जा सकता है और ऐसे विषय पर सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन से निर्णय लिया जा सकता है।

(8) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, या उसके द्वारा लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, अपने हस्ताक्षर से, उसके आदेश, निर्देश या लिखत को प्रमाणित कर सकता है।

(9) बोर्ड द्वारा जांच अधिनियम की धारा 27 के अधीन सूचना, शिकायत, संदर्भ या निर्देश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि ऐसी अवधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से एक बार में तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाता है।

20. बोर्ड का डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करना—बोर्ड एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की अपनी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यवाही को इस प्रकार संचालित करने के लिए तकनीकी-कानूनी उपाय अपना सकता है जिससे किसी व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित न हो।

21. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें—(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम वे होंगे जो छठी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

22. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील—(1) बोर्ड के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा। यह अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णयानुसार डिजिटल रूप में दायर की जाएगी।

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर अपील के साथ उतनी ही राशि का शुल्क संलग्न होगा जितना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अंतर्गत दायर अपील के संबंध में लागू है, जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अपने विवेकानुसार इसे कम या माफ नहीं किया जाता है, और यह शुल्क एकीकृत भुगतान इंटरफेस या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत ऐसी अन्य भुगतान प्रणाली का उपयोग करके डिजिटल रूप से देय होगा।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण—

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है; और

(ख) एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जो किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की अपनी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यवाही को इस प्रकार संचालित करने के लिए तकनीकी-कानूनी उपाय अपना सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

23. डेटा फ़िड्यूसरी या मध्यवर्ती से सूचना मांगना—(1) केंद्र सरकार, अधिनियम के ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए, किसी डेटा फ़िड्यूसरी या मध्यवर्ती से ऐसी सूचना, जिसकी मांग की जाए, उस अनुसूची में दी गई निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, केंद्र सरकार डेटा फ़िड्यूसरी या मध्यवर्ती से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रभावित डेटा स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना का खुलासा न करे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "मध्यवर्ती" पद का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में इसके लिए निर्दिष्ट है।

प्रथम अनुसूची

[नियम 4 देखें]

भाग क

सहमति प्रबंधक के पंजीकरण की शर्तें

1. आवेदक भारत में निगमित एक कंपनी है।
2. आवेदक के पास सहमति प्रबंधक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता सहित पर्याप्त क्षमता है।
3. आवेदक की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ है।
4. आवेदक की निवल संपत्ति दो करोड़ रुपये से कम नहीं है।
5. आवेदक के लिए उपलब्ध संभावित व्यवसाय की मात्रा और उसकी पूँजी संरचना एवं आय की संभावनाएँ पर्याप्त हैं।
6. आवेदक कंपनी के निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और वरिष्ठ प्रबंधन सामान्य प्रतिष्ठा और निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हैं।
7. आवेदक कंपनी के संस्था के ज्ञापन और संस्था के अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान हैं जिनके अनुसार भाग ब की मद 9 और 10 के अंतर्गत दायित्वों का पालन किया जाना आवश्यक है, ऐसे पालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, और ऐसे प्रावधानों में केवल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है।
8. आवेदक द्वारा प्रस्तावित संचालन डेटा प्रिंसिपल के हित में हैं।
9. यह स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) आवेदक का अंतर-संचालनीय प्लेटफ़ॉर्म, जो डेटा प्रिंसिपल को अपनी सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने में सक्षम बनाता है, ऐसे डेटा संरक्षण मानकों और आश्वासन ढाँचे के अनुरूप है, जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है; और

(ख) ऐसे मानकों और ढाँचे का पालन सुनिश्चित करने और भाग ख की मद 11 के अंतर्गत दायित्वों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपाय मौजूद हैं।

भाग ख

सहमति प्रबंधक के दायित्व

1. सहमति प्रबंधक, अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले डेटा प्रिंसिपल को, ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किए गए डेटा फ़िड्यूशरी द्वारा उसके वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति देने में सक्षम बनाएगा। यह सहमति सीधे उस डेटा फ़िड्यूशरी को या ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किए गए किसी अन्य डेटा फ़िड्यूशरी के माध्यम से दी जाएगी, जो उस डेटा प्रिंसिपल की सहमति से ऐसे वैयक्तिक डेटा का रखरखाव करता है।

उदाहरण

व्यक्ति, सहमति प्रबंधक द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म P के माध्यम से अपने वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उसे वापस ले सकते हैं। X, एक व्यक्ति, P पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता है। B1 और B2, P पर ऑनबोर्ड किए गए बैंक हैं।

मामला 1: B1, अपने बैंक खाता विवरण में निहित वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति हेतु P पर X को एक अनुरोध भेजती है। X, अपने डिजिटल लॉकर में बैंक खाता विवरण को एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रखती है। X, B1 को सीधे अपनी सहमति देने के लिए P का उपयोग करती है, और B1 को अपने बैंक खाता विवरण तक पहुँच प्रदान करती है।

मामला 2: B1, अपने बैंक खाते के विवरण में निहित वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने के लिए सहमति हेतु P के माध्यम से X को अनुरोध भेजती है। X, B2 के साथ अपना बैंक खाता रखती है। X, B2 के माध्यम से B1 तक अपनी सहमति भेजने के लिए P का उपयोग करती है, साथ ही B2 को डिजिटल रूप से निर्देश देती है कि वह B1 को अपना बैंक खाता विवरण भेजे। B2, B1 को बैंक खाता विवरण भेजती है।

2. सहमति प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि वैयक्तिक डेटा उपलब्ध कराने या उसे साझा करने का तरीका ऐसा हो कि उसकी सामग्री उसके द्वारा पढ़ी न जा सके।

3. सहमति प्रबंधक अपने प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखेगा, अर्थात्:—

- (क) उसके द्वारा दी गई, अस्वीकृत या वापस ली गई सहमति;
- (ख) सहमति के अनुरोध से पहले या साथ में दिए गए नोटिस; और
- (ग) हस्तांतरिती डेटा फ़िड्यूशरी के साथ उसके वैयक्तिक डेटा को साझा करना।

4. सहमति प्रबंधक:—

- (क) ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले डेटा प्रिंसिपल को ऐसे रिकॉर्ड तक पहुँच प्रदान करेगा;
- (ख) डेटा प्रिंसिपल के अनुरोध पर और उसकी सेवा शर्तों के अनुसार, उसे ऐसे अभिलेख में निहित जानकारी मशीन-पठनीय रूप में उपलब्ध कराएगा; और
- (ग) ऐसे अभिलेख को कम से कम सात वर्षों तक, या उससे अधिक अवधि तक, जिस पर डेटा प्रिंसिपल और सहमति प्रबंधक सहमत हों, या जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित हो, बनाए रखेगा।

5. सहमति प्रबंधक एक वेबसाइट या ऐप, या दोनों का विकास और रखरखाव प्राथमिक माध्यम के रूप में करेगा जिसके माध्यम से डेटा प्रिंसिपल सहमति प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकेगा।
6. सहमति प्रबंधक अधिनियम और इन नियमों के तहत अपने किसी भी दायित्व के निष्पादन को उप-अनुबंधित या नहीं सौंपेगा।
7. सहमति प्रबंधक वैयक्तिक डेटा भंग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करेगा।
8. सहमति प्रबंधक डेटा प्रिंसिपल के संबंध में एक फ़िड्यूसरी क्षमता में कार्य करेगा।
9. सहमति प्रबंधक डेटा फ़िड्यूसरी के साथ हितों के टकराव से बचेगा, जिसमें उनके प्रमोटरों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के संबंध में भी शामिल है।
10. सहमति प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन के पास डेटा फ़िड्यूसरीज़ में निदेशक पद, वित्तीय हित, रोज़गार या लाभकारी स्वामित्व होने, या उनके साथ कोई भौतिक आर्थिक संबंध होने के कारण हितों का कोई टकराव न हो।
11. सहमति प्रबंधक अपनी वेबसाइट या ऐप, या दोनों पर, जैसा भी मामला हो, आसानी से सुलभ तरीके से निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रकाशित करेगा: -

- (क) सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत कंपनी के प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जो सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत कंपनी की शेयरधारिता के दो प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है;
- (ग) प्रत्येक कॉर्पोरेट जिसकी शेयरधारिता में सहमति प्रबंधक का कोई प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन पिछले कैलेंडर माह के पहले दिन तक दो प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है; और
- (घ) ऐसी अन्य जानकारी जिसे बोर्ड पारदर्शिता के हित में सहमति प्रबंधक को प्रकट करने का निर्देश दे सकता है।

12. सहमति प्रबंधक के पास ऐसे लेखापरीक्षा परिणामों की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन और बोर्ड को समय-समय पर और ऐसे अन्य अवसरों पर, जैसा कि बोर्ड निर्देशित करे, रिपोर्ट करने के लिए प्रभावी लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित होंगे, जो निम्नलिखित के संबंध में होंगे -

- (क) तकनीकी और संगठनात्मक नियंत्रण, प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और सुरक्षा उपाय;
- (ख) पंजीकरण की शर्तों का निरंतर पालन; और
- (ग) अधिनियम और इन नियमों के तहत अपने दायित्वों का पालन।

13. सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत कंपनी का नियंत्रण बिक्री, विलय या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, सिवाय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के और ऐसी शर्तों की पूर्ति के अधीन, जिन्हें बोर्ड इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।

नोट: इस अनुसूची में—

- (क) "निगम निकाय" में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) के अंतर्गत परिभाषित कंपनी, निगमित निकाय, फर्म, वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या गठित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, और व्यक्तियों का कोई अन्य निगमित संघ या वैयक्तिक निकाय शामिल होगा;
- (ख) "कंपनी", "नियंत्रण", "निदेशक" और "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" पदों के वही अर्थ होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं;
- (ग) "निवल संपत्ति" पद का अर्थ कुल परिसंपत्तियों का समग्र मूल्य होगा, जो सहमति प्रबंधक की देनदारियों के मूल्य से घटाया जाएगा, जैसा कि उसकी लेखा पुस्तकों में दिखाई देता है; और
- (घ) "प्रवर्तक" और "वरिष्ठ प्रबंधन" पदों के वही अर्थ होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

दूसरी अनुसूची

[नियम 5(1) और 16 देखें]

धारा 7 के खंड (ख) के अंतर्गत राज्य और उसके निकायों द्वारा वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण और धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए मानक

वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए, लागू कानून के अनुसार, निम्नलिखित का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों का कार्यान्वयन, अर्थात्: -

- (क) प्रसंस्करण विधिसम्मत तरीके से किया जाता है;
- (ख) प्रसंस्करण अधिनियम की धारा 7 के खंड (ख) में निर्दिष्ट उपयोगों के लिए या अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसा भी मामला हो;
- (ग) प्रसंस्करण ऐसे वैयक्तिक डेटा तक सीमित है जो ऐसे उपयोगों या ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जैसा भी मामला हो;
- (घ) प्रसंस्करण वैयक्तिक डेटा की पूर्णता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करते हुए किया जाता है;
- (ङ.) वैयक्तिक डेटा को ऐसे उपयोगों या ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, या वर्तमान में लागू किसी कानून के अनुपालन हेतु आवश्यक होने तक बनाए रखा जाता है;
- (च) डेटा फ़िज्युसरी के कब्जे या नियंत्रण में वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा के लिए वैयक्तिक डेटा भंग को रोकने हेतु उचित सुरक्षा उपाय, जिसमें उसके द्वारा या उसकी ओर से डेटा प्रोसेसर द्वारा किए गए किसी भी प्रसंस्करण के संबंध में शामिल है;
- (छ) जहां अधिनियम की धारा 7 के खंड (बी) के तहत प्रसंस्करण किया जाना है, वहां डेटा प्रिंसिपल को इसके संबंध में सूचना देते हुए ऐसा किया जाता है और—
 - (i) उस व्यक्ति की व्यावसायिक संपर्क जानकारी देना जो डेटा फ़िज्युसरी की ओर से उसके वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के बारे में डेटा प्रिंसिपल के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो;

(ii) ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी की वेबसाइट या ऐप, या दोनों तक पहुँचने के लिए विशेष संचार लिंक निर्दिष्ट करना, और अन्य साधनों का विवरण, यदि कोई हो, जिसका उपयोग करके ऐसा डेटा प्रिंसिपल अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है; और

(iii) ऐसे अन्य मानकों के अनुरूप किया जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति या उस समय लागू किसी कानून के तहत ऐसे वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण पर लागू हो सकते हैं; और

(ज) इन मानकों के प्रभावी पालन के लिए, उस व्यक्ति की जवाबदेही जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन का निर्धारण करता है।

तीसरी अनुसूची

[नियम 8(1) देखें]

क्र. सं.	डेटा फ़िड्यूसरी का वर्ग	प्रयोजन	समय सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डेटा फ़िड्यूसरी जो एक ई-कॉमर्स इकाई है जिसके भारत में कम से कम दो करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं	सभी उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर: (क) डेटा प्रिंसिपल को उसके उपयोगकर्ता खाते तक पहुँचने में सक्षम बनाना; और (ख) डेटा प्रिंसिपल को किसी भी वर्चुअल टोकन तक पहुँचने में सक्षम बनाना जो डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा या उसकी ओर से जारी किया जाता है, ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी की डिजिटल सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म पर संग्रहीत होता है, और जिसका उपयोग धन, सामान या सेवाएँ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।	उस तारीख से तीन वर्ष, जब डेटा प्रिंसिपल ने विनिर्दिष्ट उद्देश्य के प्रदर्शन या अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए डेटा फ़िड्यूसरी से अंतिम बार संपर्क किया था, या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण नियम, 2025 के प्रारंभ होने तक, जो भी बाद में हो।
2.	डेटा फ़िड्यूसरी जो एक ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती है, जिसके भारत में पचास लाख से कम पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं	सभी उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर: (क) डेटा प्रिंसिपल को उसके उपयोगकर्ता खाते तक पहुँचने में सक्षम बनाना; और (ख) डेटा प्रिंसिपल को किसी भी वर्चुअल टोकन तक पहुँचने में सक्षम बनाना जो डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा या उसकी ओर से जारी किया जाता है, ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी की डिजिटल सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म पर संग्रहीत होता है, और	उस तारीख से तीन वर्ष, जब डेटा प्रिंसिपल ने विनिर्दिष्ट उद्देश्य के प्रदर्शन या अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए डेटा फ़िड्यूसरी से अंतिम बार संपर्क किया था, या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण नियम, 2025 के प्रारंभ होने तक, जो भी बाद में हो।

		जिसका उपयोग धन, सामान या सेवाएँ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है	
3.	डेटा फ़िड्यूसरी जो एक सोशल मीडिया मध्यवर्ती है, जिसके भारत में कम से कम दो करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं	सभी उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर: (क) डेटा प्रिंसिपल को उसके उपयोगकर्ता खाते तक पहुँचने में सक्षम बनाना; और (ख) डेटा प्रिंसिपल को किसी भी वर्चुअल टोकन तक पहुँचने में सक्षम बनाना जो डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा या उसकी ओर से जारी किया जाता है, ऐसे डेटा फ़िड्यूसरी की डिजिटल सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म पर संग्रहीत होता है, और जिसका उपयोग धन, सामान या सेवाएँ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है	उस तारीख से तीन वर्ष, जब डेटा प्रिंसिपल ने विनिर्दिष्ट उद्देश्य के प्रदर्शन या अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए डेटा फ़िड्यूसरी से अंतिम बार संपर्क किया था, या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण नियम, 2025 के प्रारंभ होने तक, जो भी बाद में हो।

नोट: इस अनुसूची में,—

- (क) “ई-कॉमर्स इकाई” से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35वां) में यथापरिभाषित ई-कॉमर्स के लिए डिजिटल सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है, लेकिन इसमें उक्त अधिनियम में परिभाषित ई-कॉमर्स इकाई के बाज़ार में बिक्री के लिए अपने सामान या सेवाओं की पेशकश करने वाला विक्रेता शामिल नहीं है;
- (ख) “ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती” से ऐसा कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम का अभिगम करने में सक्षम बनाता है;
- (ग) “सोशल मीडिया मध्यवर्ती” से ऐसा कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) में परिभाषित किया गया है जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम बनाता है और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करके जानकारी बनाने, अपलोड करने, साझा करने, प्रसारित करने, संशोधित करने या उस तक पहुँचने की अनुमति देता है; और

(घ) “उपयोगकर्ता, के संबंध में—

- (i) एक ई-कॉमर्स इकाई, से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी ई-कॉमर्स इकाई के किसी कंप्यूटर संसाधन तक पहुँचता है या उसका लाभ उठाता है; और
- (ii) ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती या सोशल मीडिया मध्यवर्ती का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो सूचना को होस्ट करने, प्रकाशित करने, साझा करने, लेन-देन करने, देखने, प्रदर्शित करने, डाउनलोड करने या अपलोड करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती के किसी भी कंप्यूटर संसाधन तक पहुँचता है या उसका लाभ उठाता है।

चौथी अनुसूची

[नियम 12 देखें]

भाग क

डेटा फ़िड्युसरी की श्रेणियाँ जिनके संबंध में धारा 9 की उप-धारा (1) और (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे

क्र. सं.	डेटा फ़िड्युसरी का वर्ग	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	एक डेटा फ़िड्युसरी जो एक नैदानिक प्रतिष्ठान, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर है	प्रसंस्करण, ऐसे प्रतिष्ठान या पेशेवर को सौंपे गए बच्चे को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तक सीमित है, जो उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
2.	एक डेटा फ़िड्युसरी जो एक संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर है	प्रसंस्करण, बच्चे के लिए ऐसे पेशेवर द्वारा अनुशंसित किसी भी स्वास्थ्य देखभाल उपचार और रेफरल योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करने तक सीमित है, जो उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है
3.	एक डेटा फ़िड्युसरी जो एक शैक्षणिक संस्थान है	प्रसंस्करण ट्रेकिंग और व्यवहारिक निगरानी तक सीमित है – (क) ऐसी संस्था की शैक्षिक गतिविधियों के लिए; या (ख) ऐसी संस्था में नामांकित बच्चे की सुरक्षा के हित में।
4.	डेटा फ़िड्युसरी वह व्यक्ति होता है जिसकी देखभाल में क्रेच या चाइल्ड डे केयर सेंटर में शिशुओं और बच्चों को सौंपा जाता है	ऐसी संस्था, शिशुगृह या केंद्र की देखभाल में सौंपे गए बच्चे की सुरक्षा के हित में प्रसंस्करण को ट्रेकिंग और व्यवहारिक निगरानी तक सीमित रखा गया है।
5.	एक डेटा फ़िड्युसरी जिसे किसी शैक्षणिक संस्थान, क्रेच या चाइल्ड केयर सेंटर द्वारा ऐसे संस्थान, क्रेच या केंद्र में नामांकित बच्चों के परिवहन के लिए नियुक्त किया जाता है	ऐसे बच्चे की सुरक्षा के हित में, ऐसे संस्थान, शिशुगृह या केंद्र से आने-जाने के दौरान उनके स्थान पर नज़र रखने तक ही प्रसंस्करण को सीमित किया गया है।

भाग ख

वे उद्देश्य जिनके लिए धारा 9 की उपधारा (1) और (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे

क्र. सं.	प्रयोजन	शर्तें
1.	भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत किसी बच्चे के हित में किसी शक्ति का प्रयोग, किसी कार्य का निष्पादन या किसी कर्तव्य का निर्वहन	प्रसंस्करण ऐसे अभ्यास, प्रदर्शन या निर्वहन के लिए आवश्यक सीमा तक ही प्रतिबंधित है।
2.	अधिनियम की धारा 7 के खंड (ख) के अंतर्गत किसी बच्चे के हित में कानून या नीति के तहत या सार्वजनिक धन का उपयोग करके, किसी	प्रसंस्करण ऐसे प्रावधान या जारी करने के लिए आवश्यक सीमा तक ही प्रतिबंधित है।

	भी नाम से ज्ञात किसी भी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट को प्रदान करने या जारी करने हेतु	
3.	ईमेल द्वारा संचार हेतु उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए	प्रसंस्करण ऐसे उपयोगकर्ता खाते बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक ही सीमित है, जिसका उपयोग ईमेल द्वारा संचार तक सीमित है।
4.	किसी बच्चे के वास्तविक समय स्थान के निर्धारण के लिए।	प्रसंस्करण, ऐसे बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के हित में, उसके वास्तविक समय के स्थान की ट्रैकिंग तक सीमित है।
5.	यह सुनिश्चित करना कि कोई भी सूचना, सेवा या विज्ञापन, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उस तक न पहुंचे।	प्रसंस्करण को उस सीमा तक प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी जानकारी, सेवा या विज्ञापन बच्चे के लिए सुलभ न हो।
6.	डेटा फ्रिड्यूसरी द्वारा इस बात की पुष्टि के लिए कि डेटा प्रिंसिपल बच्चे नहीं है और नियम 10 के तहत उचित परिश्रम का पालन	प्रसंस्करण ऐसी पुष्टि या पालन के लिए आवश्यक सीमा तक ही प्रतिबंधित है।

नोट: इस अनुसूची में, -

- (क) "विज्ञापन" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35वां) में दिया गया है।
- (क) "संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14वां) की धारा 2 के खंड (घ) में दिया गया है;
- (ख) "नैदानिक प्रतिष्ठान" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) की धारा 2 के खंड (ग) में दिया गया है;
- (ग) "शैक्षणिक संस्थान" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा और इसमें वह शिक्षण संस्थान शामिल होगा जो व्यावसायिक शिक्षा सहित शिक्षा प्रदान करता है;
- (घ) "स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14वां) की धारा 2 के खंड (जे) में विनिर्दिष्ट है;
- (ङ) "स्वास्थ्य सेवाओं" का अर्थ राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14वां) की धारा 2 के खंड (जे) में यथानिर्दिष्ट स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सेवाएं अभिप्रेत होगा; और
- (च) "मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान" का वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10वां) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (पी) में विनिर्दिष्ट है।

पांचवीं अनुसूची

[नियम 18 देखें]

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें

1. वेतन-(1) अध्यक्ष को मकान और कार की सुविधा के बिना, प्रतिमाह चार लाख पचास हजार रुपए का समेकित वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) अध्यक्ष के अलावा प्रत्येक सदस्य को मकान और कार की सुविधा के बिना, प्रतिमाह चार लाख रुपए का समेकित वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2. भविष्य निधि-अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य बोर्ड की भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए पात्र होंगे, तथा इस संबंध में लागू तरीके और नियम एवं शर्तें, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वही होंगी जो बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि के लिए लागू हैं।

3. पेंशन और ग्रेच्युटी-अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य बोर्ड में की गई सेवा के लिए पेंशन या ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार नहीं होंगे।

4. यात्रा भत्ता-(1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, बोर्ड में शामिल होने के लिए स्थानांतरण के समय, या बोर्ड के साथ अपने कार्यकाल की समाप्ति पर परिवार के साथ अपने गृह नगर जाने के लिए (उसके और उसके परिवार द्वारा की गई यात्रा के संबंध में भी शामिल है), या भारत के भीतर दौरे पर, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वैयक्तिक सामान के परिवहन पर व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे वेतनमानों और दरों पर पाने के हकदार होंगे जो वेतन मैट्रिक्स के निम्नलिखित स्तर में केंद्रीय सरकार के अधिकारी को लागू हैं, अर्थात्:—

(क) स्तर 17, अध्यक्ष के मामले में; और

(ख) स्तर 15, प्रत्येक अन्य सदस्य के मामले में।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य भारत के बाहर केवल केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार दौरा कर सकते हैं, और ऐसे दौरे के संबंध में, वह वही भत्ते पाने के हकदार होंगे जो वेतन मैट्रिक्स के निम्नलिखित स्तर में केंद्रीय सरकार के अधिकारी पाने के हकदार हैं, अर्थात्:—

(क) स्तर 17, अध्यक्ष के मामले में; तथा

(ख) स्तर 15, प्रत्येक अन्य सदस्य के मामले में।

5. चिकित्सा सहायता-(1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए बोर्ड की किसी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें स्वीकार्य चिकित्सा सहायता के हकदार होंगे।

(2) यदि अध्यक्ष या अन्य सदस्य सरकारी सेवा से, या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगमित निकाय की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और ऐसी सेवा के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अलग नियम हैं, तो वह उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत चिकित्सा सहायता के बदले में ऐसे नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुन सकते हैं।

6. छुट्टी.-(1) अध्यक्ष के संबंध में छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय सरकार होगी, और किसी अन्य सदस्य के संबंध में अध्यक्ष होगा।

(2) अध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य ऐसे प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकेंगे जो केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 (जिसे इसके पश्चात् "अवकाश नियम" कहा जाएगा) के नियम 26 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) तथा खण्ड (ख), नियम 27, 29, 30 तथा 40 से 43- ग के अन्तर्गत सरकारी सेवक को अनुमन्य हैं।

(3) अवकाश, अवकाश नियमों के नियम 7 से 11 तथा 22 से 25 के अन्तर्गत सरकारी सेवक पर लागू शर्तों के अधीन होगा तथा केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो कि उक्त नियमों में से किसी के क्रियान्वयन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक तथा ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अधीन शिथिल कर सकेगी जिन्हें वह मामले को न्यायसंगत तथा समतापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे।

(4) अध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अन्तर्गत सरकारी सेवक को अनुमन्य सीमा तक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे।

(5) अध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य, अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे, ऐसी शर्तों तथा उसी प्रकार के अधीन जो नियम 38-क, उपनियम (1) तथा (2) तथा नियम 39 के उपनियम (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) तथा (ii), नियम 39-क तथा नियम 39-ग के अन्तर्गत सरकारी सेवक पर लागू होते हैं, नियम 38-क को छोड़कर उक्त नियमों में से किसी के अन्तर्गत नकदीकरण की अधिकतम सीमा, अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के पचास प्रतिशत के अधीन होगी।

7. छुट्टी यात्रा रियायत.- (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य को केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के नियम 3, नियम 4 के खंड (क) और (घ), नियम 5 से 15 और नियम 17 के अधीन भारत संघ के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू प्रावधानों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य होगी और ऐसी रियायत के लिए पात्रता वही होगी जो अध्यक्ष के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 17 में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू है, और सदस्य के मामले में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू है।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य या तो छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे या सदस्य के रूप में अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की किसी भी अवधि में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए पात्र होंगे।

8. सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें.-(1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पद के कार्यों के निष्पादन में हितों का टकराव न हो और उनका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा जिससे ऐसे पद के कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के भाग IV से भाग IX में निहित प्रावधान, जो केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी पर लागू होते हैं जो केंद्रीय सिविल सेवा, समूह 'क' का सदस्य है, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी बैठक शुल्क के हकदार नहीं होंगे।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य किसी सत्कार भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

(5) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की सेवा की शर्तों से संबंधित कोई मामला, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

9. इस अनुसूची में, "वेतन मैट्रिक्स" का अर्थ 25 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या 1-2/2016-आईसी द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के संकल्प के अनुलग्नक 1 में यथाविनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स होगा।

छठी अनुसूची

[नियम 21(2) देखें]

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

1. अधिकारियों की श्रेणियाँ- (1) बोर्ड कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी मौलिक नियमों और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय, एक सांविधिक निकाय, या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(2) बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट से किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए बाजार मानकों द्वारा निर्देशित वेतन और भत्ते के साथ और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों पर प्राप्त या प्रतिनियुक्त कर सकता है, जैसा कि बोर्ड तय कर सकता है।

2. ग्रेच्युटी- अधिकारी और कर्मचारी ऐसे ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार होंगे, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के तहत स्वीकार्य हो सकते हैं।

3. यात्रा भत्ता- अधिकारियों और कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ता, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वही होगा जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू है।

4. चिकित्सा सहायता- अधिकारी और कर्मचारी ऐसी चिकित्सा सहायता के हकदार होंगे जो उन्हें और उनके पात्र आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड की किसी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य हो।

5. छुट्टी- (1) अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अन्तर्गत सरकारी सेवक को अनुमन्य छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं, जो उक्त नियमों के अन्तर्गत लागू शर्तों के अधीन हैं, और वे उसमें उपबन्धित अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) अधिकारी और कर्मचारी उस सीमा तक आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अन्तर्गत सरकारी सेवक के लिए अनुमन्य है।

6. छुट्टी यात्रा रियायत- छुट्टी यात्रा रियायत, पैरा 1 के खंड (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के अधीन सिविल सेवाओं और भारत संघ के कार्यकलापों से संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू उपबंधों के अनुसार अनुमेय होगी।

7. सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें-(1) सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपबंध, अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि उक्त नियमों के अधीन भारत संघ के कार्यकलापों से संबंधित किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति पर लागू होते हैं।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के भाग IV से भाग IX में अंतर्विष्ट उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, पैरा 1 के खंड (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि उक्त नियमों के अधीन किसी सरकारी सेवक पर लागू होते हैं।

(3) पैरा 1 के खंड (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित कोई मामला, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

सातवीं अनुसूची
[नियम 8(3) और 23(1) देखें]

क्र. सं.	प्रयोजन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा के हित में किसी डेटा प्रिंसिपल के वैयक्तिक डाटा का राज्य या उसके किसी भी साधन द्वारा उपयोग	राज्य या अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2) के अधीन अधिसूचित उसकी किसी संस्था का ऐसा अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार या ऐसी संस्था का प्रमुख, जैसा भी मामला हो, इस निमित्त पदनामित किया जाए।
2.	राज्य या उसके किसी भी साधन द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग, अर्थात्: - (i) भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी कार्य का निष्पादन; या (ii) भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण	लागू कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति
3.	किसी भी डेटा फ़िज्युसरी या डेटा फ़िज्युसरी के वर्ग को महत्वपूर्ण डेटा फ़िज्युसरी के रूप में अधिसूचित करने के लिए मूल्यांकन करना	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी, जिसे उक्त मंत्रालय का प्रभारी सचिव इस संबंध में पदनामित किया जाए।

[फा. सं. एए-11038/1/2025-सीएल एवं ईएस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025

G.S.R. 846(E).— Whereas draft of the Digital Personal Data Protection Rules, 2025 were published, as required under sub-section (1) of section 40 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology *vide* number G.S.R. 02 (E), dated the 3rd January, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd January, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 3rd January, 2025;

And whereas objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 40 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Digital Personal Data Protection Rules, 2025.

(2) Rules 1, 2 and 17 to 21 shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) Rule 4 shall come into force one year after the date of publication of this Gazette.

(4) Rules 3, 5 to 16, 22 and 23 shall come into force eighteen months after the date of publication of this Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023);

(b) “techno-legal measures” means as referred to under rules 20 and 22;

(c) “user account” means the online account registered by the Data Principal with the Data Fiduciary, and includes any profiles, pages, handles, email address, mobile number and other similar presences by means of which such Data Principal is able to access the services of such Data Fiduciary; and

(d) “verifiable consent” means a consent as specified in rule 10 or 11.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Notice given by Data Fiduciary to Data Principal. —The notice given by the Data Fiduciary to the Data Principal shall—

(a) be presented and be understandable independently of any other information that has been, is or may be made available by such Data Fiduciary;

(b) give, in clear and plain language, a fair account of the details necessary to enable the Data Principal to give specific and informed consent for the processing of her personal data, which shall include, at the minimum, —

(i) an itemised description of such personal data; and

(ii) the specified purpose or purposes of, and specific description of the goods or services to be provided or uses to be enabled by, such processing; and

(c) give, the particular communication link for accessing the website or app, or both, of such Data Fiduciary, and a description of other means, if any, using which such Data Principal may—

- (i) withdraw her consent, with the ease of doing so being comparable to that with which such consent was given;
- (ii) exercise her rights under the Act; and
- (iii) make a complaint to the Board.

4. Registration and obligations of Consent Manager. — (1) A person who fulfils the conditions for registration of Consent Managers set out in Part A of First Schedule may apply to the Board for registration as a Consent Manager by furnishing such particulars and such other information and documents as the Board may publish in this behalf on its website.

(2) On receipt of such application, the Board may make such inquiry as it may deem fit to satisfy itself regarding fulfilment of the conditions set out in Part A of First Schedule, and if it—

- (a) is satisfied, register the applicant as a Consent Manager, under intimation to the applicant, and publish on its website the particulars of such Consent Manager; or
- (b) is not satisfied, reject the application and communicate the reasons for the rejection to the applicant.

(3) The Consent Manager shall have obligations as specified in Part B of First Schedule.

(4) If the Board is of the opinion that a Consent Manager is not adhering to the conditions and obligations under this rule, it may, after giving an opportunity of being heard, inform the Consent Manager of such non-adherence and direct the Consent Manager to take measures to ensure adherence.

(5) The Board may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the interests of Data Principals, after giving the Consent Manager an opportunity of being heard, by order, for reasons to be recorded in writing,

- (a) suspend or cancel the registration of such Consent Manager; and
- (b) give such directions as it may deem fit to that Consent Manager, to protect the interests of the Data Principals.

(6) The Board may, for the purposes of this rule, require the Consent Manager to furnish such information as the Board may call for.

5. Processing of personal data for provision or issue of subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit by State and its instrumentalities. — (1) Processing the personal data of a Data Principal under this rule shall be done following the standards specified in Second Schedule.

(2) In this rule and the Second Schedule, the reference to any subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit that is provided or issued—

- (a) under law shall be construed as a reference to provision or issuance of such subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit in exercise of any power of or the performance of any function by the State or any of its instrumentalities under any law for the time being in force;
- (b) under policy shall be construed as a reference to provision or issuance of such subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit under any policy or instruction issued by the Central Government or a State Government in exercise of its executive power; and
- (c) using public funds shall be construed as a reference to provision or issuance of such subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit by incurring expenditure on the same from, or with accrual of receipts to, —
 - (i) in case of the Central Government or a State Government, the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the State or the public account of India or the public account of the State; or
 - (ii) in case of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India or of any State, the fund or funds of such authority.

6. Reasonable security safeguards. — (1) A Data Fiduciary shall protect personal data in its possession or under its control, including in respect of any processing undertaken by it or on its behalf by a Data Processor, by taking reasonable security safeguards to prevent personal data breach, which shall include, at the minimum, —

- (a) appropriate data security measures, such as securing of personal data through encryption, obfuscation, masking or the use of virtual tokens mapped to that personal data;
- (b) appropriate measures to control access to the computer resources used by such Data Fiduciary or such a Data Processor, wherever applicable;
- (c) visibility on the accessing of such personal data, through appropriate logs, monitoring and review, for enabling detection of unauthorised access, its investigation and remediation to prevent recurrence;
- (d) reasonable measures for continued processing in the event of confidentiality, integrity or availability of such personal data being compromised as a result of destruction or loss of access to personal data or otherwise, such as by way of data-backups;
- (e) for enabling the detection of unauthorised access, its investigation, remediation to prevent recurrence and continued processing in the event of such a compromise, retain such logs and personal data for a period of one year, unless compliance with any law for the time being in force requires otherwise;
- (f) appropriate provision in the contract entered into between such Data Fiduciary and such a Data Processor, wherever applicable, for taking reasonable security safeguards; and
- (g) appropriate technical and organisational measures to ensure effective observance of security safeguards.

(2) In this rule, the expression “computer resource” shall have the same meaning as is assigned to it in Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

7. Intimation of personal data breach. — (1) On becoming aware of any personal data breach, the Data Fiduciary shall, to the best of its knowledge, intimate to each affected Data Principal, in a concise, clear and plain manner and without delay, through her user account or any mode of communication registered by her with the Data Fiduciary, —

- (a) a description of the breach, including its nature, extent and the timing of its occurrence;
- (b) the consequences relevant to her, that are likely to arise from the breach;
- (c) the measures implemented and being implemented by the Data Fiduciary, if any, to mitigate risk;
- (d) the safety measures that she may take to protect her interests; and
- (e) business contact information of a person who is able to respond on behalf of the Data Fiduciary, to queries, if any, of the Data Principal.

(2) On becoming aware of any personal data breach, the Data Fiduciary shall intimate to the Board, —

- (a) without delay, a description of the breach, including its nature, extent, timing and location of occurrence and the likely impact;
- (b) within seventy-two hours of becoming aware of the breach, or within such longer period as the Board may allow on a request made in writing in this behalf, —
 - (i) updated and detailed information in respect of such description;
 - (ii) the broad facts related to the events, circumstances and reasons leading to the breach;
 - (iii) measures implemented or proposed, if any, to mitigate risk;
 - (iv) any findings regarding the person who caused the breach;
 - (v) remedial measures taken to prevent recurrence of such breach; and
 - (vi) a report regarding the intimations given to affected Data Principals.

8. Time period for specified purpose to be deemed as no longer being served.—(1) A Data Fiduciary, who is of such class and is processing personal data for such corresponding purposes as are specified in Third Schedule, shall erase such personal data, unless its retention is necessary for compliance with any law for the time being in force, or, for the corresponding time period specified in the Third Schedule, if the Data Principal neither approaches such Data Fiduciary for the performance of the specified purpose nor exercises her rights in relation to such processing.

(2) At least forty-eight hours before completion of the time period for erasure of personal data under this rule, the Data Fiduciary shall inform the Data Principal that such personal data shall be erased upon completion of such period, unless she logs into her user account or otherwise initiates contact with the Data Fiduciary for the performance of the specified purpose or exercises her rights in relation to the processing of such personal data.

(3) Without prejudice to sub-rules (1) and (2), a Data Fiduciary shall retain, in respect of any processing of personal data undertaken by it or on its behalf by a Data Processor, such personal data, associated traffic data and other logs of the processing for a minimum period of one year from the date of such processing, for the purposes as specified in the Seventh Schedule, after which the Data Fiduciary shall cause such personal data and logs to be erased, unless further retention is required for compliance with any other law for the time being in force or notified by the Government.

Illustration.

Case 1: X, a Data Principal purchases an e-book on an e-book platform Y. Once delivery is completed, the specified purpose of processing is served. The platform Y must retain the order details, personal data, and logs of the processing (such as order confirmation, payment, and delivery events) for at least one year from the date of the transaction, even if X deletes her account.

Case 2: X, a company engages a cloud service provider C as its Data Processor to host customer records. X as the Data Fiduciary, is required to ensure that the C also retains the data and associated logs for at least one year before erasure, unless any other applicable law requires a longer period.

9. Contact information of person to answer questions about processing.— Every Data Fiduciary shall prominently publish on its website or app, and mention in every response to a communication for the exercise of the rights of a Data Principal under the Act, the business contact information of the Data Protection Officer, if applicable, or a person who is able to answer on behalf of the Data Fiduciary the questions of the Data Principal about the processing of her personal data.

10. Verifiable consent for processing of personal data of child.—(1) A Data Fiduciary shall adopt appropriate technical and organisational measures to ensure that verifiable consent of the parent is obtained before the processing of any personal data of a child and shall observe due diligence, for checking that the individual identifying herself as the parent is an adult who is identifiable if required in connection with compliance with any law for the time being in force in India, by reference to—

(a) reliable details of identity and age of the individual available with the Data Fiduciary; or

(b) details of identity and age, voluntarily provided —

(i) by the individual; or

(ii) through a virtual token mapped to such details, which is issued by an authorised entity.

(2) In this rule, the expression—

(a) “adult” shall mean an individual who has completed the age of eighteen years;

(b) “authorised entity” shall mean —

(i) an entity entrusted by law or by the Central Government or by the State Government with the issuance of details of the identity and age or a virtual token mapped to such details; or

- (ii) a person appointed or permitted by the entity specified under clause (i), for such issuance, and also includes details of identity and age or token made available and verified by a Digital Locker Service Provider;
- (c) “Digital Locker service provider” shall mean such intermediary, including a body corporate or an agency of the appropriate Government, as may be notified by the Central Government, in accordance with the rules made in this regard under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

Illustration.

C is a child, P is a parent, and DF is a Data Fiduciary. A user account of C is sought to be created on the online platform of DF, by processing the personal data of C.

Case 1: C informs DF that she is a child and declares P as her parent. DF shall enable P to identify herself through its website, app or other appropriate means. P identifies herself as the parent and informs DF that she is a registered user on DF’s platform and has previously made available her identity and age details to DF. Before processing C’s personal data for the creation of her user account, DF shall check to confirm that it holds reliable identity and age details of P and that P is an identifiable adult.

Case 2: C informs DF that she is a child and declares P as her parent. DF shall enable P to identify herself through its website, app or other appropriate means. P identifies herself as the parent and informs DF that she herself is not a registered user on DF’s platform. Before processing C’s personal data for the creation of her user account, DF shall, by reference to identity and age details issued by an entity entrusted by law or the Government with maintenance of the said details or to a virtual token mapped to the identity and age, check that P is an identifiable adult. P may voluntarily make such details available using the services of a Digital Locker service provider.

Case 3: P is opening an account for C and identifies herself as C’s parent and informs DF that she is a registered user on DF’s platform and has previously made available her identity and age details to DF. Before processing C’s personal data for the creation of her user account, DF shall check to confirm that it holds reliable identity and age details of P and that P is an identifiable adult.

Case 4: P is opening an account for C and identifies herself as C’s parent and informs DF that she herself is not a registered user on DF’s platform. Before processing C’s personal data for the creation of her user account, DF shall, by reference to identity and age details issued by an entity entrusted by law or the Government with maintenance of the said details or to a virtual token mapped to the identity and age, check that P is an identifiable adult. P may voluntarily make such details available using the services of a Digital Locker service provider.

11. Verifiable consent for processing of personal data of person with disability who has lawful guardian. — (1) A Data Fiduciary, while obtaining verifiable consent from an individual identifying herself as the lawful guardian of a person with disability, shall observe due diligence to verify that such guardian is appointed by a court of law, or by a designated authority or by a local level committee, under the law applicable to guardianship.

(2) In this rule, the expression—

- (a) “designated authority” shall mean an authority designated under section 15 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity;
- (b) “law applicable to guardianship” shall mean, —
 - (i) in relation to an individual who has long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders her full and effective participation in society equally with others and who despite being provided adequate and appropriate support is unable to take legally binding decisions, the provisions of law contained in

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the rules made thereunder; and

- (ii) in relation to a person who is suffering from any of the conditions relating to autism, cerebral palsy, mental retardation or a combination of such conditions and includes a person suffering from severe multiple disability, the provisions of law of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) and the rules made thereunder;
- (c) “local level committee” shall mean a local level committee constituted under section 13 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999);
- (d) “person with disability” shall mean and include—
 - (i) an individual who has long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders her full and effective participation in society equally with others and who, despite being provided adequate and appropriate support, is unable to take legally binding decisions; and
 - (ii) an individual who is suffering from any of the conditions relating to autism, cerebral palsy, mental retardation or a combination of any two or more of such conditions and includes an individual suffering from severe multiple disability and who, despite being provided adequate and appropriate support, is unable to take legally binding decisions.

12. Exemptions from certain obligations applicable to processing of personal data of child. — (1) The provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 of the Act shall not be applicable to processing of personal data of a child by such class of Data Fiduciaries as are specified in Part A of Fourth Schedule, subject to such conditions as are specified in the said Part.

(2) The provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 of the Act shall not be applicable to processing of personal data of a child for such purposes as are specified in Part B of Fourth Schedule, subject to such conditions as are specified in the said Part.

13. Additional obligations of Significant Data Fiduciary. — (1) A Significant Data Fiduciary shall, once in every period of twelve months from the date on which it is notified as such or is included in the class of Data Fiduciaries notified as such, undertake a Data Protection Impact Assessment and an audit to ensure effective observance of the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) A Significant Data Fiduciary shall cause the person carrying out the Data Protection Impact Assessment and audit to furnish to the Board a report containing significant observations in the Data Protection Impact Assessment and audit.

(3) A Significant Data Fiduciary shall observe due diligence to verify that technical measures including algorithmic software adopted by it for hosting, display, uploading, modification, publishing, transmission, storage, updating or sharing of personal data processed by it are not likely to pose a risk to the rights of Data Principals.

(4) A Significant Data Fiduciary shall undertake measures to ensure that personal data specified by the Central Government, on the basis of the recommendations of a committee constituted by it, is processed subject to the restriction that the personal data and the traffic data pertaining to its flow is not transferred outside the territory of India.

(5) In this rule, “committee” means a committee constituted by the Central Government for the purpose of this rule, which shall include officials from the Ministry of Electronics and Technology and may include officials from other Ministries or Department of the Central Government.

14. Rights of Data Principals. — (1) For enabling Data Principals to exercise their rights under the Act, the Data Fiduciary and, where applicable, the Consent Manager, shall prominently publish on its website or app, or both, as the case may be, —

- (a) the details of the means using which a Data Principal may make a request for the exercise of such rights; and
- (b) the particulars, if any, such as the username or other identifier of such a Data Principal, which may be required to identify her under its terms of service.

(2) To exercise the rights of the Data Principal under the Act, she may make a request to the Data Fiduciary to whom she has previously given consent for processing of her personal data, using the means and furnishing the particulars required by such Data Fiduciary for the exercise of such rights.

(3) Every Data Fiduciary and Consent Manager shall prominently publish on its website or app, or both, as the case may be, within a reasonable period not exceeding ninety days under its grievance redressal system for responding to the grievances of Data Principals and shall, for ensuring the effectiveness of the system in responding within such period, implement appropriate technical and organisational measures.

(4) To exercise the rights of the Data Principal under the Act, she may, in accordance with the terms of service of the Data Fiduciary and such law as may be applicable, nominate one or more individuals, using the means and furnishing the particulars required by such Data Fiduciary for the exercise of such right.

(5) In this rule, the expression “identifier” shall mean any sequence of characters issued by the Data Fiduciary to identify the Data Principal and includes a customer identification file number, customer acquisition form number, application reference number, enrolment ID, email address, mobile number or licence number that enables such identification.

15. Transfer of personal data outside the territory of India.— Any personal data processed by a Data Fiduciary under the Act may be transferred outside the territory of India subject to the restriction that the Data Fiduciary shall meet such requirements as the Central Government may, by general or special order, specify in respect of making such personal data available to any foreign State, or to any person or entity under the control of or any agency of such a State.

16. Exemption from Act for research, archiving or statistical purposes. —The provisions of the Act shall not apply to the processing of personal data necessary for research, archiving or statistical purposes if it is carried on in accordance with the standards specified in Second Schedule.

17. Appointment of Chairperson and other Members.— (1) The Central Government shall constitute a Search-cum-Selection Committee, with the Cabinet Secretary as the chairperson and the Secretaries to the Government of India in charge of the Department of Legal Affairs and the Ministry of Electronics and Information Technology and two experts of repute having special knowledge or practical experience in a field which in the opinion of the Central Government may be useful to the Board as members, to recommend individuals for appointment as Chairperson.

(2) The Central Government shall constitute a Search-cum-Selection Committee, with the Secretary to the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology as the chairperson and the Secretary to the Government of India in charge of the Department of Legal Affairs, and two experts of repute having special knowledge or practical experience in a field which in the opinion of the Central Government may be useful to the Board as members, to recommend individuals for appointment as a Member other than the Chairperson.

(3) The Central Government shall, after considering the suitability of individuals recommended by the Search-cum-Selection Committee, appoint the Chairperson or other Member, as the case may be.

(4) No act or proceeding of the Search-cum-Selection Committee specified in sub-rules (1) and (2) of this rule shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy or absences in such committee or defect in its constitution.

18. Salary, allowances and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members. —The Chairperson and every other Member shall receive such salary and allowances and shall have such other terms and conditions of service as are specified in Fifth Schedule.

19. Procedure for meetings of Board and authentication of its orders, directions and instruments. —

- (1) The Chairperson shall fix the date, time and place of meetings of the Board, approve the items of agenda therefor, and cause notice specifying the same to be issued under her signature or that of such other individual as the Chairperson may authorise by general or special order in writing.
- (2) Meetings of the Board shall be chaired by the Chairperson and, in her absence, by such other Member as the Members present at the meeting may choose from amongst themselves.
- (3) One-third of the membership of the Board shall be the quorum for its meetings.
- (4) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of Members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in her absence, the person chairing, shall have a second or casting vote.
- (5) If a Member has an interest in any item of business to be transacted at a meeting of the Board, she shall not participate in or vote on the same and, in such a case, the decision on such item shall be taken by a majority of the votes of other Members present and voting.
- (6) In case an emergent situation warrants immediate action by the Board and it is not feasible to call a meeting of the Board, the Chairperson may, while recording the reasons in writing, take such action as may be necessary, which shall be communicated within seven days to all Members and laid before the Board for ratification at its next meeting.
- (7) If the Chairperson so directs, an item of business or issue which requires decision of the Board may be referred to Members by circulation and such item may be decided with the approval of majority of the Members.
- (8) The Chairperson or any Member of the Board, or any individual authorised by it, by a general or special order in writing, may, under her signature, authenticate its order, direction or instrument.
- (9) The inquiry by the Board shall be completed within a period of six months from the date of receipt of the intimation, complaint, reference or direction under section 27 of the Act, unless such period is extended by it, for reasons to be recorded in writing, for a further period not exceeding three months at a time.

20. Functioning of Board as digital office. — The Board shall function as a digital office, without prejudice to its power to summon and enforce the attendance of any person and examine her on oath, may adopt techno-legal measures to conduct proceedings in a manner that does not require physical presence of any individual.

21. Terms and conditions of appointment and service of officers and employees of Board.— (1) The Board may, with previous approval of the Central Government, appoint such officers and employees as it may deem necessary for the efficient discharge of its functions under the provisions of the Act.

(2) The terms and conditions of service of officers and employees of the Board shall be such as are specified in Sixth Schedule.

22. Appeal to Appellate Tribunal. — (1) Any person aggrieved by an order or direction of the Board, may prefer an appeal before the Appellate Tribunal, it shall be filed in digital form as the Appellate Tribunal may decide.

(2) An appeal filed with the Appellate Tribunal shall be accompanied by fee of like amount as is applicable in respect of an appeal filed under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), unless reduced or waived by the Chairperson of the Appellate Tribunal at her discretion, and the same shall be payable digitally using the Unified Payments Interface or such other payment system authorised by the Reserve Bank of India.

(3) The Appellate Tribunal—

- (a) shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the provisions of the Act, may regulate its own procedure; and
- (b) shall function as a digital office which, without prejudice to its power to summon and enforce the attendance of any person and examine her on oath, may adopt techno-legal measures to conduct proceedings in a manner that does not require physical presence of any individual.

23. Calling for information from Data Fiduciary or intermediary. — (1) The Central Government may, for such purposes of the Act as are specified in Seventh Schedule, acting through the corresponding authorised person specified in the said Schedule, require any Data Fiduciary or intermediary to furnish such information as may be called for, within the specified period as may be given in such.

(2) Where the disclosure of furnishing of information as referred to in sub-rule (1) is likely to prejudicially affect the sovereignty and integrity of India or security of the State, the Central Government may require the Data Fiduciary or intermediary to not disclose such furnishing to affected Data Principal or any other person except with the previous permission, in writing, of the authorised person.

(3) For the purposes of this rule, the expression “intermediary” shall have the same meaning as assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

PART A

Conditions for registration of Consent Manager

1. The applicant is a company incorporated in India.
2. The applicant has sufficient capacity, including technical, operational and financial capacity, to fulfil its obligations as a Consent Manager.
3. The financial condition and the general character of management of the applicant are sound.
4. The net worth of the applicant is not less than two crore rupees.
5. The volume of business likely to be available to and the capital structure and earning prospects of the applicant are adequate.
6. The directors, key managerial personnel and senior management of the applicant company are individuals with a general reputation and record of fairness and integrity.
7. The memorandum of association and articles of association of the applicant company contain provisions requiring that the obligations under items 9 and 10 of Part B are adhered to, that policies and procedures are in place to ensure such adherence, and that such provisions may be amended only with the previous approval of the Board.
8. The operations proposed to be undertaken by the applicant are in the interests of Data Principals.
9. It is independently certified that—
 - (a) the interoperable platform of the applicant to enable the Data Principal to give, manage, review and withdraw her consent is consistent with such data protection standards and assurance framework as may be published by the Board on its website from time to time; and
 - (b) appropriate technical and organisational measures are in place to ensure adherence to such standards and framework and effective observance of the obligations under item 11 of Part B.

PART B

Obligations of Consent Manager

1. The Consent Manager shall enable a Data Principal using its platform to give consent to the processing of her personal data by a Data Fiduciary onboarded onto such platform either directly to such Data Fiduciary or through another Data Fiduciary onboarded onto such platform, who maintains such personal data with the consent of that Data Principal.

Illustration.

Individuals are enabled to give, manage, review and withdraw their consent to the processing of their personal data through P, a platform maintained by a Consent Manager. X, an individual, is a registered user on P. B1 and B2 are banks onboarded onto P.

Case 1: B1 sends a request on P to X for consent to process personal data contained in her bank account statement. X maintains the bank account statement as a digital record in her digital locker. X uses P to directly give her consent to B1, and proceeds to give B1 access to her bank account statement.

Case 2: B1 sends a request on P to X for consent to process personal data contained in her bank account statement. X maintains her bank account with B2. X uses P to route her consent through B2 to B1, while also digitally instructing B2 to send her bank account statement to B1. B2 proceeds to send the bank account statement to B1.

2. The Consent Manager shall ensure that the manner of making available the personal data or its sharing is such that the contents thereof are not readable by it.
3. The Consent Manager shall maintain on its platform a record of the following, namely:—
 - (a) Consents given, denied or withdrawn by her;
 - (b) Notices preceding or accompanying requests for consent; and
 - (c) Sharing of her personal data with a transferee Data Fiduciary.
4. The Consent Manager: —
 - (a) shall give the Data Principal using such platform access to such record;
 - (b) shall, on the request of the Data Principal and in accordance with its terms of service, make available to her the information contained in such record, in machine-readable form; and
 - (c) shall maintain such record for at least seven years, or for such longer period as the Data Principal and Consent Manager may agree upon or as may be required by law.
5. The Consent Manager shall develop and maintain a website or app, or both, as the primary means through which a Data Principal may access the services provided by the Consent Manager.
6. The Consent Manager shall not sub-contract or assign the performance of any of its obligations under the Act and these rules.
7. The Consent Manager shall take reasonable security safeguards to prevent personal data breach.
8. The Consent Manager shall act in a fiduciary capacity in relation to the Data Principal.
9. The Consent Manager shall avoid conflict of interest with Data Fiduciaries, including in respect of their promoters and key managerial personnel.
10. The Consent Manager shall have in place measures to ensure that no conflict of interest arises on account of its directors, key managerial personnel and senior management holding a directorship, financial interest, employment or beneficial ownership in Data Fiduciaries, or having a material pecuniary relationship with them.
11. The Consent Manager shall publish in an easily accessible manner, on its website or app, or both, as the case may be, information regarding: —
 - (a) the promoters, directors, key managerial personnel and senior management of the company registered as Consent Manager;
 - (b) every person who holds shares in excess of two per cent. of the shareholding of the company registered as Consent Manager;

- (c) everybody corporate in whose shareholding any promoter, director, key managerial personnel or senior management of the Consent Manager holds shares in excess of two per cent. as on the first day of the preceding calendar month; and
- (d) such other information as the Board may direct the Consent Manager to disclose in the interests of transparency.

12. The Consent Manager shall have in place effective audit mechanisms to review, monitor, evaluate and report the outcome of such audit to the Board, periodically and on such other occasions as the Board may direct, in respect of—

- (a) technical and organisational controls, systems, procedures and safeguards;
- (b) continued fulfilment of the conditions of registration; and
- (c) adherence to its obligations under the Act and these rules.

13. The control of the company registered as the Consent Manager shall not be transferred by way of sale, merger or otherwise, except with the previous approval of the Board and subject to fulfilment of such conditions as the Board may specify in this behalf.

Note: In this Schedule, —

- (a) the expression “body corporate” shall include a company, a body corporate as defined under clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), a firm, a financial institution, a scheduled bank or a public sector enterprise established or constituted by or under any Central Act, Provincial Act or State Act, and any other incorporated association of persons or body of individuals;
- (b) the expressions “company”, “control”, “director” and “key managerial personnel” shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (c) the expression “net worth” shall mean the aggregate value of total assets as reduced by the value of liabilities of the Consent Manager as appearing in its books of accounts; and
- (d) the expressions “promoter” and “senior management” shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

SECOND SCHEDULE

[See rules 5(1) and 16]

Standards for processing of personal data by State and its instrumentalities under clause (b) of section 7 and for processing of personal data necessary for the purposes specified in clause (b) of sub-section (2) of section 17

Implementation of appropriate technical and organisational measures to ensure effective observance of the following, in accordance with applicable law, for the processing of personal data, namely: —

- (a) Processing is carried out in a lawful manner;
- (b) Processing is done for the uses specified in clause (b) of section 7 of the Act or for the purposes specified in clause (b) of sub-section (2) of section 17 of the Act, as the case may be;
- (c) Processing is limited to such personal data as is necessary for such uses or achieving such purposes, as the case may be;
- (d) Processing is done while making reasonable efforts to ensure the completeness, accuracy and consistency of personal data;

- (e) Personal data is retained till required for such uses or achieving such purposes, as the case may be, or for compliance with any law for the time being in force;
- (f) Reasonable security safeguards to prevent personal data breach to protect personal data in the possession or under control of the Data Fiduciary, including in respect of any processing undertaken by it or on its behalf by a Data Processor;
- (g) Where processing is to be done under clause (b) of section 7 of the Act, the same is undertaken while giving the Data Principal an intimation in respect of the same and—
- (i) giving the business contact information of a person who is able to answer on behalf of the Data Fiduciary the questions of the Data Principal about the processing of her personal data;
 - (ii) specifying the particular communication link for accessing the website or app, or both, of such Data Fiduciary, and a description of other means, if any, using which such Data Principal may exercise her rights under the Act; and
 - (iii) is carried on in a manner consistent with such other standards as may be applicable to the processing of such personal data under policy issued by the Central Government or any law for the time being in force; and
- (h) Accountability of the person who alone or in conjunction with other persons determines the purpose and means of processing of personal data, for effective observance of these standards.

THIRD SCHEDULE

[See rule 8(1)]

S. no.	Class of Data Fiduciaries	Purposes	Time period
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Data Fiduciary who is an e-commerce entity having not less than two crore registered users in India.	For all purposes, except for the following: (a) Enabling the Data Principal to access her user account; and (b) Enabling the Data Principal to access any virtual token that is issued by or on behalf of the Data Fiduciary, is stored on the digital facility or platform of such Data Fiduciary, and may be used to get money, goods or services.	Three years from the date on which the Data Principal last approached the Data Fiduciary for the performance of the specified purpose or exercise of her rights, or the commencement of the Digital Personal Data Protection Rules, 2025, whichever is latest.
2.	Data Fiduciary who is an online gaming intermediary having not less than fifty lakh registered users in India.	For all purposes, except for the following: (a) Enabling the Data Principal to access her user account; and (b) Enabling the Data Principal to access any virtual token that is issued by or on behalf of the Data Fiduciary, is stored on the digital facility or platform of such Data	Three years from the date on which the Data Principal last approached the Data Fiduciary for the performance of the specified purpose or exercise of her rights, or the commencement of the Digital Personal Data Protection Rules, 2025, whichever is latest.

		Fiduciary, and may be used to get money, goods or services.	
3.	Data Fiduciary who is a social media intermediary having not less than two crore registered users in India.	For all purposes, except for the following: (a) Enabling the Data Principal to access her user account; and (b) Enabling the Data Principal to access any virtual token that is issued by or on behalf of the Data Fiduciary, is stored on the digital facility or platform of such Data Fiduciary, and may be used to get money, goods or services.	Three years from the date on which the Data Principal last approached the Data Fiduciary for the performance of the specified purpose or exercise of her rights, or the commencement of the Digital Personal Data Protection Rules, 2025, whichever is latest.

Note: In this Schedule, —

- (a) “e-commerce entity” means any person who owns, operates or manages a digital facility or platform for e-commerce as defined in the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), but does not include a seller offering her goods or services for sale on a marketplace e-commerce entity as defined in the said Act;
- (b) “online gaming intermediary” means any intermediary who enables the users of its computer resource to access one or more online games;
- (c) “social media intermediary” means an intermediary as defined in clause (w) of sub-rule (1) of rule 2 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021; and
- (d) “user”, in relation to—
 - (i) an e-commerce entity, means any person who accesses or avails any computer resource of an e-commerce entity; and
 - (ii) an online gaming intermediary or a social media intermediary, means any person who accesses or avails of any computer resource of an intermediary for the purpose of hosting, publishing, sharing, transacting, viewing, displaying, downloading or uploading information.

FOURTH SCHEDULE

[See rule 12]

PART A

Classes of Data Fiduciaries in respect of whom provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 shall not apply

S. No.	Class of Data Fiduciaries	Conditions
(1)	(2)	(3)
1.	A Data Fiduciary who is a clinical establishment, mental health establishment or healthcare professional.	Processing is restricted to provision of health services to the child by such establishment or professional, to the extent necessary for the protection of her health.
2.	A Data Fiduciary who is an allied healthcare professional.	Processing is restricted to supporting implementation of any healthcare treatment and referral plan

		recommended by such professional for the child, to the extent necessary for the protection of her health.
3.	A Data Fiduciary who is an educational institution.	Processing is restricted to tracking and behavioural monitoring— (a) for the educational activities of such institution; or (b) in the interests of safety of children enrolled with such institution.
4.	A Data Fiduciary who is an individual in whose care infants and children in a crèche or child day care centre are entrusted.	Processing is restricted to tracking and behavioural monitoring in the interests of safety of children entrusted in the care of such institution, crèche or centre.
5.	A Data Fiduciary who is engaged by an educational institution, crèche or child care centre for transport of children enrolled with such institution, crèche or centre.	Processing is restricted to tracking the location of such children, in the interests of their safety, during the course of their travel to and from such institution, crèche or centre.

PART B**Purposes for which provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 shall not apply**

S. No.	Purposes	Conditions
(1)	(2)	(3)
1.	For the exercise of any power, performance of any function or discharge of any duties in the interests of a child, under any law for the time being in force in India.	Processing is restricted to the extent necessary for such exercise, performance or discharge.
2.	For providing or issuing of any subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit, by whatever name called, under law or policy or using public funds, in the interests of a child, under clause (b) of section 7 of the Act.	Processing is restricted to the extent necessary for such provision or issuance.
3.	For the creation of a user account for communicating by email.	Processing is restricted to the extent necessary for creating such user account, the use of which is limited to communication by email.
4.	For the determination of real-time location of a child.	Processing is restricted to the tracking of real-time location of such child, in the interest of her safety and protection or security.
5.	For ensuring that any information, service or advertisement likely to cause any detrimental effect on the well-being of a child is not accessible to her.	Processing is restricted to the extent necessary to ensure that such information, service or advertisement is not accessible to the child.
6.	For confirmation by the Data Fiduciary that the Data Principal is not a child and observance of due diligence under rule 10.	Processing is restricted to the extent necessary for such confirmation or observance.

Note: In this Schedule, —

- (a) “advertisement” shall have the same meaning as is assigned to it in the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019).
- (a) “allied healthcare professional” shall have the same meaning as is assigned to it in the clause (d) of section 2 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021);
- (b) “clinical establishment” shall have the same meaning as assigned to it in the clause (c) of section 2 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010);
- (c) “educational institution” shall mean and include an institution of learning that imparts education, including vocational education;
- (d) “healthcare professional” shall have the same meaning as is assigned to it in clause (j) of section 2 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021);
- (e) “health services” shall mean the services required to be provided by a healthcare professional as referred to in clause (j) of section 2 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021); and
- (f) “mental health establishment” shall have the same meaning as is assigned to it in clause (p) of subsection (1) of section 2 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).

FIFTH SCHEDULE

[See rule 18]

Terms and conditions of service of Chairperson and other Members

- 1. Salary.** — (1) The Chairperson shall be entitled to receive a consolidated salary of rupees four lakh fifty thousand per month, without the facility of house and car.
(2) Every Member other than the Chairperson shall be entitled to receive a consolidated salary of rupees four lakh per month, without the facility of house and car.
- 2. Provident Fund.** —The Chairperson and every other Member shall be eligible to contribute to the Provident Fund of the Board, and the manner and terms and conditions applicable in this regard shall, *mutatis mutandis*, be the same as those applicable to other officers and employees of the Board for their Provident Fund.
- 3. Pension and gratuity.** —The Chairperson and every other Member shall not be entitled to payment of pension or gratuity for service rendered in the Board.
- 4. Travelling allowance.**—(1) The Chairperson and every other Member, while on transfer to join the Board, or on the expiry of her term with the Board for proceeding to her home town with family (including in respect of journey undertaken by her and her family), or on tour within India, shall be entitled to journey allowance, daily allowance and reimbursement of expense on transportation of personal effects at such scales and rates as are applicable to an officer of the Central Government in the following level of the pay matrix, namely:—
 - (a) level 17, in the case of the Chairperson; and
 - (b) level 15, in the case of every other Member.
 (2) The Chairperson and every other Member may undertake tour outside India only in accordance with guidelines or instructions issued by the Central Government, and in respect of such tour, she shall be entitled to draw the same allowances as an officer of the Central Government, in the following level of the pay matrix, is entitled to draw, namely: —
 - (a) level 17, in the case of the Chairperson; and
 - (b) level 15, in the case of every other Member.
- 5. Medical assistance.** — (1) The Chairperson and every other Member shall be entitled to such medical assistance as may be admissible to them under any group health insurance scheme of the Board for officers and employees of the Board and their eligible dependants.

(2) If the Chairperson or other Member has retired from Government service, or from the service of a public sector entity or a body corporate established by a Central Act, Provincial Act or State Act, and there are a separate set of rules for the grant of medical assistance for such service, she may, in lieu of medical assistance under sub-paragraph (1), opt to be governed by such rules.

6. Leave. — (1) The authority competent to sanction leave shall be the Central Government in respect of the Chairperson, and the Chairperson in respect of any other Member.

(2) The Chairperson and every other Member may avail of such kinds of leave as are admissible to a Government servant under sub-clause (i) of clause (a) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 26, rules 27, 29, 30 and 40 to 43-C of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as “Leave Rules”).

(3) Leave shall be subject to the conditions applicable to a Government servant under rules 7 to 11 and 22 to 25 of the Leave Rules, and the Central Government may, if satisfied that the operation of any of the said rules causes undue hardship in a particular case, by order relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(4) The Chairperson and every other Member shall be entitled to casual leave to such extent as is admissible to a Government servant under instructions issued by the Central Government.

(5) The Chairperson and every other Member shall be entitled to encashment of earned leave standing to her credit, subject to such conditions and in like manner as are applicable to a Government servant under rule 38-A, sub-rules (1) and (2) and sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-rule (6) of rule 39, rule 39-A and rule 39-C of the Leave Rules, subject to the maximum extent of encashment under any of the said rules, other than rule 38-A, being fifty *per cent.* of the earned leave standing to her credit.

7. Leave travel concession.—(1) Leave travel concession shall be admissible to the Chairperson and every other Member in accordance with the provisions applicable to persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union of India under rule 3, clauses (a) and (d) of rule 4, rules 5 to 15 and rule 17 of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988, and the entitlement for such concession shall be the same as is applicable to officers of the Central Government in level 17 of the pay matrix in the case of the Chairperson, and to officers of the Central Government in level 15 of the pay matrix in the case of a Member.

(2) The Chairperson and every other Member shall be eligible to avail of either leave travel concession to home town or leave travel concession to any place in India in any period of two years from the date of assumption of their office as a Member.

8. Other terms and conditions of service. — (1) The Chairperson and every other Member shall ensure absence of conflict of interest in the performance of the functions of her office and shall not have any such financial or other interests as are likely to prejudicially affect the performance of the functions of such office.

(2) The provisions contained in Part IV to Part IX of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as applicable to an officer of the Central Government who is a member of a Central Civil Services, Group ‘A’, shall apply, *mutatis mutandis*, to the Chairperson and every other Member.

(3) The Chairperson and every other Member shall not be entitled to any sitting fee for attending meetings of the Board.

(4) The Chairperson and every other Member shall not be entitled to any sumptuary allowance.

(5) Any matter relating to the conditions of service of the Chairperson or any other Member, in respect of which no express provision has been made in these rules, shall be referred to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government on the same shall be final.

9. In this Schedule, “pay matrix” shall mean the pay matrix specified in Annexure I to the Central Government’s Resolution published in the Official Gazette *vide* Notification no. 1-2/2016-IC, dated the 25th July, 2016.

SIXTH SCHEDULE

[See rule 21(2)]

Terms and conditions of appointment and service of officers and employees of Board

1. Classes of officials. — (1) The Board may, in accordance with the Fundamental Rules and applicable guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, appoint officers and employees on deputation from the Central Government, a State Government, an autonomous body under the overall control of the Central Government or a State Government, a statutory body, or a public sector enterprise, for a period not exceeding five years.

(2) The Board may also receive or take on deputation any officer or other employee from the National Institute for Smart Government, for a period not exceeding five years, with salary and allowances guided by market standards and on such other terms and conditions as the Board may decide.

2. Gratuity. —The officers and employees shall be entitled to payment of such gratuity as may be admissible under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).

3. Travelling allowance. —The travelling allowance payable to the officers and employees shall, *mutatis mutandis*, be the same as those applicable to the officers and employees of the Central Government.

4. Medical assistance. —The officers and employees shall be entitled to such medical assistance as may be admissible to them and their eligible dependants under any group health insurance scheme of the Board, made with the previous approval of the Central Government.

5. Leave. — (1) The officers and employees may avail of such kinds of leaves as are admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, subject to the conditions applicable under the said rules, and shall be eligible for encashment of earned leave as provided therein.

(2) The officers and employees shall be entitled to casual leave to such extent as is admissible to a Government servant under instructions issued by the Central Government.

6. Leave travel concession. — Leave travel concession shall be admissible to the officers and employees appointed under clause (1) of paragraph 1, in accordance with the provisions applicable to persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union of India under the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988.

7. Other terms and conditions of service. — (1) The provisions of the Civil Service (Conduct) Rules, 1964 shall apply to the officers and employees in like manner as applicable to a person appointed to a civil service or post in connection with the affairs of the Union of India under the said rules.

(2) The provisions contained in Part IV to Part IX of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply, *mutatis mutandis*, to the officers and employees appointed under clause (1) of paragraph 1, in like manner as applicable to a Government servant under the said rules.

(3) Any matter relating to the terms and conditions of service of the officers and employees appointed under clause (1) of paragraph 1, in respect of which no express provision has been made in these rules, shall be referred to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government on the same shall be final.

SEVENTH SCHEDULE

[See rule 23(1) and 8(3)]

S. no.	Purpose	Authorised person
(1)	(2)	(3)
1.	Use, by the State or any of its instrumentalities, of personal data of a Data Principal in the interest of sovereignty and integrity of India or security of the State.	Such officer of the State or of any of its instrumentalities notified under clause (a) of sub-section (2) of section 17 of the Act, as the Central Government or the head of such instrumentality, as the case may be, may designate in this behalf.

2.	Use, by the State or any of its instrumentalities, of personal data of a Data Principal for the following purposes, namely: — (i) performance of any function under any law for the time being in force in India; or (ii) disclosure of any information for fulfilling any obligation under any law for the time being in force in India.	Person authorised under applicable law.
3.	Carrying out assessment for notifying any Data Fiduciary or class of Data Fiduciaries as Significant Data Fiduciary.	Such officer of the Central Government, in the Ministry of Electronics and Information Technology, as the Secretary in charge of the said Ministry may designate in this behalf.

[F. No. AA-11038/1/2025-CLandES]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.